न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 29/2023
दायर दिनांक : 14/09/2023
निर्णय दिनांक : 04/11/2024

उनवान

1. भूरालाल पिता खेमा गाडरी निवासी पारी तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1. मृतक जयराम पिता डूंगा गाडरी के बजाय
1–1 गमेर पिता जयराम गाडरी निवासी पारी तहसील भूपालसागर
1–2 नारायणी पुत्री जयराम गाडरी निवासी पारी तहसील भूपालसागर
2. तहसीलदार, भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री अभय चपलोत, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री रामदयाल दाधीच, अधिवक्ता अप्रार्थी

: : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रस्तुत किया, प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं :

यह कि ग्राम पारी प.ह. पारी के हल्के बैरूनी में हाल आ.सं. 1773 रकबा 0.22 है. स्थित है जो वर्तमान में मृतक जयराम पिता डूंगा गाडरी निवासी पारी के खातेदारी में दर्ज है लेकिन उक्त खातेदार की मृत्यु हो चुकी है, जिसके वारिस अ.सं. 1, 2 है। उक्त हाल आ.सं. 1773 के साबिक आ. सं. 619/1 रकबा 3 बिस्वा, आ.सं. 620/1 रकबा 16 बिस्वा जो प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज थे जो वास्ते सबूत सम्वत 2023 से 2026 की नकल जमाबंदी एवं सम्वत 2038 से 2041 की नकल जमाबंदी में दर्ज है। सम्वत 2038 से 2041 की नकल जमाबंदी बनने के बाद सेटलमेंट विभाग द्वारा पैमाइश की गई जिसमें उक्त आराजी के सेटलमेंट के राजस्व कर्मचारियों ने अप्रार्थी सं. 1, 2 के पिता के नाम पर दर्ज कर दी गई। जबकि प्रार्थी ने उक्त आराजी किसी प्रकार हस्तान्तरित नहीं की है तथा उक्त आराजी पर मौके पर आज भी प्रार्थी ही काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। राजस्व रिकार्ड में बिना किसी उचित आधार के सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों ने प्रार्थी के नाम से हटा करके खातेदार जयराम के नाम पर दर्ज कर दी गई है जो कानूनन उचित नहीं है। हाल ही में वर्तमान राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त करने से पता चला की उक्त आराजी को बिना युक्तियुक्त कारण के सेटलमेंट कर्मचारियों ने प्रार्थी के खातेदारी से खातेदार जयराम के नाम पर दर्ज कर दी गई। उक्त आराजी अप्रार्थीगण सं. 1, 2 के पिताजी के नाम पर दर्ज हो जाने के कारण अप्रार्थी सं. 1, 2 किसी भी समय विरासत से उक्त आराजी का नामान्तरण खुलवा सकते हैं तथा उक्त आराजी को किसी प्रकार से खुर्द बुर्द कर सकते है जिससे इनके खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी कराया

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.20 19:14:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

जाना आवश्यक है। उक्त आराजी वर्तमान खातेदार जयराम के नाम से हटाई जाकर प्रार्थी के नाम पर दर्ज कराया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी को किसी प्रकार से रहन, बह, बक्षीस नहीं करें तथा खुर्द बुर्द नहीं करें तथा अप्रार्थी सं. 3 वाद वर्णित आराजी संबंधी किसी भी दस्तावेज का पंजीयन नहीं करें तथा राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन नहीं करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं. 1, 2 की ओर से वकील श्री रामदयाल दाधीच ने अधिकार पत्र पेश किया। वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब दिनांक 22.05.2024 को पेश किया गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया, दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। दोनो पक्षों की ओर से अधिवक्ताओं द्वारा की गई बहस सुनी जाकर वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहनतापूर्वक विचार किया। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब में अंकित किया है कि प्रा. पत्र की कॉलम सं. 1 गलत होने से स्वीकार नहीं है। प्रा.पत्र की कॉलम सं. 2 का उत्तर इस प्रकार है कि वादगत आराजी पूर्व में अप्रार्थीगण के पिता जयराम के नाम खातेदारी हक से दर्ज थी किन्तु उनकी मुत्यु के पश्चात विरासत से इन्तकाल नंबर 1488 दिनांक 10.08.2023 द्वारा अप्रार्थीगण नं. 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई तत्पश्चात नामान्तरकरण नं. 1507 दिनांक 05.10.2023 से अप्रार्थी नं. 2 द्वारा अप्रार्थी नं. 1 के पक्ष में हकत्याग करने से अप्रार्थी नं. 2 का हिस्सा भी अप्रार्थी नंबर 1 के नाम पर दर्ज हुआ। इस प्रकार उक्त आराजी नंबर 1773 का पूर्ण स्वामित्व खातेदार अप्रार्थी नंबर 1 है, वही एकमात्र काबिज है। कॉलम 3 पर कोई विवाद नहीं है। प्रा. पत्र की कॉलम 4 गलत होने से स्वीकार नहीं प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण एक ही परिवार के होकर एक ही वंश के है। मृतक नंगा के पुत्र मृतक जयराम डूंगा के गोद गया। जयराम का पुत्र अप्रार्थी सं. 1, नारायणी अप्रार्थी सं. 2 है। जयराम का पुत्र भूरालाल प्रार्थी, खेमा के गोद गया। इस प्रकार प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं. 1 दोनो सगे भाई होकर जयराम के पुत्र है। डूंगा मूल रूप से गांव बबराना के रहने वाले थे जो खेमा के मामा के लडके थे जो ग्राम पारी में आकर कालांतर में पारी में आकर बस गये थे और दोनों मामा एवं भुवा के भाई थे और प्रेमवश दोनों लाऔलाद होने से जयराम डूंगा के गोद चला गया और भूरा को खेमा के गोद रख दिया किन्तु प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. एक दोनों सगे भाई होने से जमीन का विभाजन बराबर रखने से विवादित आराजी जयराम के हिस्से में रखी और उसी का कब्जा निरन्तर उनके जीवन काल में यानि 50 वर्षो से भी अधिक समय से चली आ रही थी जिस पर भूरालाल ने कभी विवाद नहीं किया और उस समय राजस्व कर्मचारीगण को मौखिक विभाजन आपसी सहमति से करा इन्तकाल खोल दिया करते थे और इसी कारण 50 वर्षो से उक्त आराजी अप्रार्थीण के पिता जयराम के नाम पर चली आ रही थी जो वर्तमान में विरासत से अप्रार्थी नं. एक के नाम पर है। भूरा के वास्तविक पिता का नाम छिपाया तथा कब्जा भी अप्रार्थीगण व उसके पिता का 50 वर्षो से अधिक समय से कब्जा निरन्तर बिना किसी अवरोध के मौके पर विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण ने स्वयं ने पुख्ता तारबंदी कर लोहे की फाटक लगा रखी है जिस पर अप्रार्थीगण का लगभग दो लाख रूपये का खर्चा हुआ। वर्तमान में अप्रार्थी ने सरसों की फसल प्राप्त की इसी आराजी से उक्त आराजी पर प्रार्थी का कभी कब्जा नहीं रहा और न ही लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के अनुसार भी खातेदार का ही मौके पर वास्तविक कब्जा माना गया है जब तक कि विरोध पक्ष अपना कब्जा साबित न कर दे। सेटलमेंट विभाग द्वारा कोई गलती नहीं हुई विरासत से इन्तकाल खुला है वह विधि सम्मत है उक्त आराजी की कीमत बढ जाने से प्रार्थी के मन में लालच पैदा हो गया इसलिए झूठे तथ्यों द्वारा अप्रार्थीगण से उक्त आराजी जबरन छीनना चाहता है। लगभग 40–50 वर्ष से उक्त आराजी का अप्रार्थी व उसका परिवार खातेदार है काबिज होकर अपना जीविकोपार्जन कर रहा है। उस इन्तकाल को निरस्त कराने की प्रार्थी ने कभी अपील नहीं की और न ही किसी न्यायालय में वाद पेश किया और न ही मौके पर कब्जा करने आया। प्रार्थी की उम्र करीबन 70 से 75 वर्ष है जो इतने वर्ष कार्यवाही नहींकरने से उसकी स्पष्ट व

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.20 19:14:38 IST
Reason: Self-Attested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ...

मौन स्वीकृति जाहिर करती है जिससे अब प्रार्थी मुकर नहीं सकता प्रार्थी की उक्त मौन स्वीकृति विबन्ध की (एस्टोपल) की तारीफ में आता है। अतः अब प्रार्थी को वाद लाने को कोई अधिकार नहीं है, प्रार्थी खातेदार भी नहीं है। अप्रार्थी व उसके परिवार का कब्जा होने से यद्यपि अप्रार्थी खातेदार फिर भी अप्रार्थीगण का कब्जा प्रार्थी के मुकाबले कब्जा मुखालफाना (एडवर्स पजेशन) होने भी प्रार्थी का कोई कानूनन हक नहीं बनता है और यदि कहीं बनता भी पाया जाये तो वह स्वतः ही समाप्त होकर अप्रार्थीगण में निहित है इसलिए प्रार्थी को वाद लाने का अधिकार नहीं है। कॉलम सं. 5, 6, 7, 8, 10 गलत होने से स्वीकार नहीं है। कॉलम 9 न्यायालय के विचारणीय है। कॉलम 11 संलग्न प्रार्थी का शपथ पत्र असत्य होने से स्वीकार नहीं है। प्रार्थी की प्रार्थना में प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष गलत होने से स्वीकार नहीं। प्रार्थी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं, प्रार्थी ने कानूनन खातेदारी अधिकार की घोषणा की दाद नहीं मांगी है और न ही उसकी पालना प्रार्थी खातेदार काश्तकार नहीं होने से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी ने बिना किसी आधार के झूठे तथ्यों पर अप्रार्थीगण से वादगत आराजी को जबरन छीनने के उद्देश्य से गलत वाद पेश किया है जिसे खारिफ फरमाया जावे।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं वकील उपभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 अस्वीकार किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। निर्णय आज दिनांक 04.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.20 19:14:35 IST
Reason: SelfAttested